



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन एवं
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.04.2024 से

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024
एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन

आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध हैं

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्डौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024
एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन
आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन एवं
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.04.2024 से

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-“क”	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पाच/2024/ 14567-816

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024


अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्राचीनान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, अमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर व्यूरो, शिमला से जात किया गया, माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
योग/औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा इनका औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील भेंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनर्रक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।


 (स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्य./पांच/2024/ 1456/-816 दिनांक 24-05-24 के अनुसार जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। गत छः माहों का औसत 386 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के ऊपर (400-386)= 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (25X14)= 350/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अद्विकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (400-241)= 159 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (25X159)= 3975/-प्रतिमाह या (3975÷26) रूपये 152.88 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (400-253)= 147 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X147)= 3675/-प्रतिमाह या (3675÷26) रूपये 141.35 प्रतिदिन रूपये दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए))।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) को लिहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन शोणी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-“क” के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

अनुसूची - अ

67) अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता समिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में		न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में	
						राउडअप वर दैनिक दर								राउडअप कर दैनिक दर	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक															
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
6500	250.00	3325	427.88	9825	377.88	378	अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391	
7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411	अद्यकुशल	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424	
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	कुशल	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477	
9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514	उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527	

स्पष्टीकरण —

- (1) भजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक भजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप : उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अिखल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि वियमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) टीप — न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ठ-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ठ-ब में देखें।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

परिशिष्ट - अ

न्यूततम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित हैं

क्र.	अनुसूचित नियोजन	वेतन - एक
1	किसी कपास जिनीग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन	
2	किसी बुन लगाने तथा बन उष्ज में नियोजन	
3	किसी भार्गो के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन	
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन	
6	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन	
7	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन	
8	किसी आरा मिल में नियोजन	
9	किसी तेल मिल में नियोजन	
10	किसी चांदल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	
11	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन	
12	किसी घाय पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैडी समिलित हैं, के निर्माण में नियोजन	
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पिसने के कार्य में नियोजन	
14	किसी दूकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन	
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन	
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन	
19	किसी धूना भट्टे में नियोजन	
20	किसी ईट भट्टे में नियोजन	
21	किसी पांचरनूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी समिलित है, में नियोजन	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन	
24	किसी याण्डसारी उत्पादन में नियोजन	
25	किसी प्राटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी येर, इन्सुलेट्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छाड़क) स्ट्रोक येर, पाइप्स, फरवेस, लाईलिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान समिलित है, में नियोजन	
26	किसी बूस्वान निर्माण कार्य में नियोजन	
27	किसी बैलेट, पैसिल, निर्माण योग में नियोजन	
28	किसी केत्ता उद्योग में नियोजन	
29	किसी रामरज गरु के निर्माण में नियोजन	
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन	
31	किसी बोनमिल में नियोजन	
32	किसी टाईल्स, जिसमें मेंगलौर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाईल्स समिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स समिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा दो(क) में परिभाषित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन	
34	किसी प्रायवट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विशान (पेथालॉजिकल) प्रयोगशाला समिलित है, में नियोजन	

35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे ककड़, मुर्म, लेट्राइट, बोल्डर, ग्रावेल शिगड़ा, साधारण रेती, विल्डिंग स्टोन, रोड ब्रेटल, अर्थे फुलसं, अर्थे और साईम स्टोन तथा अन्य खदान जौ खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोओबाइल्स कर्जशाला एवं भरम्भत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन
41	किसी बैंकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टारन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेट्रो में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसानी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेल्स या व्हूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्ट्रीसाइड (क्रीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रोनिक्स या सहबद्ध वर्षय में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिटटी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटीयों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजायरी में नियोजन
60	किसी साधुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना, निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी मुरक्का कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा और सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार बड़ी पापड तथा ऐसे ही खाय पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी दफ्तरियाँ एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी खुदाई वर्षय में नियोजन
71	किसी पुरातात्त्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन

भाग - दो

कृषि में नियोजन

(स्तवन्त्र कुमार सिंह)

अमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

प्रशिष्ठ - द


स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेंडर माह की समाप्ति पर देख होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार सबधित केलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो, तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावे।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सन्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अद्विकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा –
 - (क) “कुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) “अद्विकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमरा का एक विशित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, विन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें भावन्यपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंधे-बंधाये रोजमरा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) “अकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करना है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या विल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा आलं तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) “उच्च कुशल कर्मचारी” वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ठ स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाचारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ठ ज्ञान होना अपेक्षित है।

अतः कुशल कार्य के अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सधन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कठिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय वकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अधिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, लकनीकी, शिक्षा या उच्चोग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरों न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरे अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम हारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम हारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पाव होंगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (खण्ड) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्भित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सबैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बहेतर दरे देय होंगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।



(स्त्रीवत्र कुमार सिंह)

अम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अकुशल, अद्द कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की
उदाहरणार्थ सूची :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिशती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/ प्यून/ भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, खल्लासी, ट्सीकल अटेंडेंट, फ्हरेदार, कुली, डाक रनर, बोचमेन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमेन, बैन्डर, प्रेसमैन, छेडेवाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंसड वैंडर, बालवाडी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्याठ पर पानी पिलाने वाला, रोलकटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डालेवाला), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फ़िडर, झाइवाला, बोडेवाली, याशर, याहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती बरने वाला, कोसा फलों को छाटने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, बेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, याँबौय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेन्डर, अटेंडेंट, वार्ड सप्लायर, पैटर, सजाघट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), घादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लोण्ड्रीमेन, वोशरमेन, लोडिंग-भन्लोडिंग, माला गूथना, पापड बेलने का कार्य, बेलबौय, वेटर, रूम अटेंडेंट, धागा कटिंग, चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अद्द कुशल -

टार स्पेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाइट धाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईप्रिस्ट, क्लर्क, मोहर्रर, सहायक मिस्ट्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्ट्री, सहायक आपरेटर-धाटर घर्स, कोबलर, हाफ प्रेसमेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पैन्टर, सहायक टिकर, सहायक ड्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक आईबर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, यालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेंडेंट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमेन, व्हायटरिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोतल फिलर, केप्स्यूल फीलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, यायरमेन, एक्सपेलर मेन, मशीन अटेंडेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रियाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटीमैन, सहायक सेल्समेन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूथने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमत्ती पर इंट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटाफोलर, गांठवाला, सहायक जांघर, सहायक सचिव, जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्रिप्स्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारोगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, कसाई कम्बारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन आपरेटर, सहायक सार्टर, मुशी, फार्मेसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी.असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइन्डर, असिस्टेंट लर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिक्युरिटी सुपरवाईजर, क्रॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेंडेंट, पम्प खलासी, डॉमिपगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शोप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लैजर पैन

मिल, फ्रिक्षन, फिलॉन अनलोडस, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बैन्डसा ऑपरेटर, चिपर, मैकेनिक कम हेल्पर, बैन्डसा मैकेनिक कम हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेक्निशियन, डार्करूम सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग कंटर्क, थेसर, आया, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्स टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, असिस्टेंट सुपरवाईजर, सहायक कैमिस्ट, सहायक प्लाट ऑपरेटर, सहायक गाइड, कंटर टैकर, माइक्रोलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, अनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अद्दकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल -

गोताखोर, शोधेल एण्ड क्रेन लाइन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, कैमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लम्बर, पॉलिश पैटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंसधारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर, मास्टर, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, बॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, जे.सी.बी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रैक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, इम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, चालक(भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइन्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईम्स्कीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्ट्री, सुपरवाईजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी-मास्टर, आईर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या अशासकीय, ऑपरेटर वाटर वर्क्स, उपयनी बिजली, वाचनालय संयोजक, सिनियर गाई, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज ऑपरेटर, मुनीम, युड पॉलिशर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, व्हेकरिंगथ, शेपर, वल्कलाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोलस्टर, कारपेटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हैमरमेन, गोसर, प्रयोगशाला तकनीशियन/लेबोरेटरी टेक्निशियन, शोवल, बेलसिंकर, प्रयोगशाला सहायक, वैथमिकसर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टी वाला, पैटर, लोटोकोपी ऑपरेटर, लोडस, अनलोडस, लाइन ऐकर्स, बिजली मिस्ट्री, सिरामिस्ट, ट्लस इंचार्ज, लेथ मशिनिस्ट, कताई इंचार्ज, कम्प्रेसर ऑपरेटर, लॉण्ड्री अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाईजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर लॉर्स, रेकार्डकीपर, ओ.टी.मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी(वार्डन), दर्जी, रोलर मिस्ट्री, तकलीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनकशर, चरखा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकांड-बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमेन, पैटर, घरिष्ठ लेखापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, युड पॉलिशर, ड्रायक्लीन डौजर, स्क्रेपर, डौजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मैकेनिक, कैमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेशियन (ग्रंथपाल), पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिशर, ट्लस इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वैडस, पेटस मैकेनिक कम आपरेटर, सवेतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्ड सिक्युरिटी गाई, वाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटिशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्ट्यूवर्ड, बैकरी कारीगर, औद्यर/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार, खिचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोप मेकर, प्लाण्ट आपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिसेप्शनिस्ट, छात्रा, छाता एक्साइटर, डाटा एट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूथने वाला, थेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, जॉनेक्षनस्ट, एवाईज्डर, हडकुक, सर्वेयर, गाइड, सुपरवाईजर, सार्टर, वाइण्डर, मैकेनाइज्ड हाउस कीपींग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल -

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलोजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सलटेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, ट्रीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्युटिव, साईन्टिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित जान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के घर्गीकरण की सूची -

उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकाउन्टेंट, कैशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल भेज, टायपिस्ट, क्लर्क आदि।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कॉपी प्रेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

कैमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफिटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाइनो ऑपरेटर, लाइनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाइप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाइप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीस" जैसे -

कम्पोजिटर टाइपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर, मशीनमेन, कटर, बाइन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

तिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सीनर, वॉकसीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रासफर प्रिन्टर, असिस्टेंट तिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट कॉपी प्रेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्ट्रॉडिंग फार्मकीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेंजिंगमेन, चेकर प्लूफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लैंबर पंचर, रूलिंग फिलर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूप असिस्टेंट, फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाइन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाइनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीघर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइंडिंग बायलर क्लीनर, मजदूर आविजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर अर्टेकेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्लून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।

(स्तंवंत्र कुमार सिंह)

श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पेसिल विर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरों जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राऊण्डअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राऊण्डअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378	मजदूर	6500
6705	257.85	3625	139.42	10330	397.31	397	पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	मुद्रीम, लेखाकार, कलंके आदि	8435
9522	366.23	3625	139.42	13147	505.65	506	रोकर्स, बिस्ट्री पाईन्टर्स	9522
9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514	उच्च कुशल	9735
							कर्टर्स	10155
								390.57
								3975
								152.88
								13710
								527.31
								527
								543

स्पष्टीकरण -

- 1-मजदूरी निर्धारण में ऐसे तथा रुपये के गुणांकों को राऊण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिषद क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक ऐसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2-अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला हारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अधिकल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिदिन्तु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- 3-इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का पर्वतन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ढालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 के धारा 12(1-ए))

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर*[Signature]*

**अनुसूची - स
किसी मुद्रणालय में लियोजन**

मासिक एवं दैनिक वेतन दरे जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		राठडभाप कर दैनिक दर		कर्मचारियों का वर्ग		न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		राठडभाप कर दैनिक दर	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक																	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
						रुपये	लिपिकीय चर्चे								रुपये		
6500	250.00	3325	127.68	9825	377.88	378	अंकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391			
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477			
7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411	श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424			
9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514	उच्च कुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527			
							कुशल श्रेणी										
9685	372.50	3625	139.42	13310	511.92	512	श्रेणी एक	9685	372.50	3975	152.88	13660	525.38	525			
9378	360.69	3625	139.42	13003	500.12	500	श्रेणी दो	9378	360.69	3975	152.88	13353	513.58	514			
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	श्रेणी तीन	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477			
							अंदर कुशल श्रेणी										
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464	श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477			
7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411	श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424			

संपृष्ठीकरण -

- मजदूरी लिखेंरण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राठडभाप करके ही दैनिक एवं आंकिक मजदूरी लिधारित की जायेगी। यित्स विभाग के परिषद क. एफ. 9-7/2006/वियम/चार, टिकांक 20 मित्रावर, 2006 में 50 पैसे अंश्वा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगते उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- मजुशल श्रमिकों के लिए नशाई गड़ वेतन दरों पर लेबर व्यापार विभाग द्वारा निर्मित औरोग्रेक श्रमिकों के लिए अधिक आरतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2003=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आकड़ों के अधिकत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर परि 6 माह में जो औसत घृद्धि होगी, उसी अनुषंहा में उपभोक्ता अर्थ सूचकांक में घृद्धि दिनांक 4 अप्रैल एवं 1 अम्बुद्वर, जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तन प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील महगाई भत्ता घोषित किया जायेगा।
- इस पर्याप्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का पर्याप्त लिखी गी कर्मचारी पर पांतेकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विषमाल वेतन की दरे न्यूनतम वेतन की पुनरीधारित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दरा नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके सम्बद्ध नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिसूचियम, 1948 की थार 12(1-ए)

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

अनुसूची - क


मानविक संस्कार के विभिन्न शासकीय विभागों में व्यूनतम दैनिक वेतन श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन दरे जिसमें

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े संघर्षों में)


व्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		संघर्षों में संडरण कर दैनिक दर		व्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		संघर्षों में संडरण कर दैनिक दर	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक															
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328	अकुशल	6500	216.66	3675	122.50	10175	339.17	339	
7057	235.23	3625	120.83	10687	356.07	356	अर्द्धकुशल	7057	235.23	3975	132.50	11032	367.73	368	
8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	402	कुशल	8435	281.16	3975	132.50	12410	413.67	414	
9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445	उच्चकुशल	9735	324.50	3975	132.50	13710	457.00	457	

संघर्षीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के मुणांकों को राठण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरे 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से सप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्भित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अिखल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिविन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित व्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरे व्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि व्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (व्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

अमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्ये/पांच/2024/ 14817 - 15066

इन्दौर, दिनांक 24.05.2024

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर व्यारो, शिमला से जात किया गया। माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता है:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जुलाई, 2023	1215
अगस्त, 2023	1224
सितम्बर, 2023	1226
अक्टूबर, 2023	1241
नवम्बर, 2023	1253
दिसम्बर, 2023	1257
औसत सूचकांक	$7416 \div 6 = 1236 (1236)$

तथा इनका औसत 1236 घोषित करता है, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्धारित व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध दिया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्य./पांच/2024/1481/-15066 दिनांक 24.-05.-2024 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 रहा है। यह माही का औसत 1180 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1180 के ऊपर ($1236-1180=$ 56 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते रूपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये ($6 \times 56 =$ 336/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 ($1986-87=100$) के ऊपर कुल उभोक्ता मूल्य सूचकांक में ($1236-768 =$ 468 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये ($468 \times 6 =$ 2808/- प्रतिमाह या ($2808 \div 30$) रूपये 93.60 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+2808= रूपये 8158/- तथा $8158 \div 30 =$ रूपये 271.93 (राठण्ड-अप रूपये 272/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- द के लिए))।

अनुसूची - द
कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरों जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राठडभप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रुपये में राठडभप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261	अकुशल कृषि श्रमिक	5350
								178.33
								2808
								93.60
								8158
								271.93
								272

स्पष्टीकरण - परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरों तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिभता द्वारा निर्भित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपमोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृत्ति के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिविन्दु प्रतिमाह रुपये 6/- (छ. रुपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जलवरी से जून तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त राक्षभ प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जायेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राठडभप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। विन्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ. 9-7/2006/वियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन वी दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विषमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुलरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है।)
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरों महिला एवं युरुषों के लिए एक समान वियत है।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (छ.) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विज्ञाप्त दिवस के संबंध में परिश्रमिक सम्मिलित है।

29/10/2023
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

अमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे/पाच/2024/ 15067-316 इन्दौर, दिनांक 24-05-2024
अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर व्यूरो, शिमला से जात कर, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता है:-

		माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीड़ी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1		जनवरी, 2023	8730.09
2		फरवरी, 2023	8723.51
3		मार्च, 2023	8762.95
4		अप्रैल, 2023	8822.12
5		मई, 2023	8854.99
6		जून, 2023	8966.74
7		जुलाई, 2023	9183.68
8		अगस्त, 2023	9150.81
9		सितम्बर, 2023	9039.06
10		अक्टूबर, 2023	9098.22
11		नवंबर, 2023	9144.24
12		दिसंबर, 2023	9124.52
योग / औसत सूचकांक		107600.93	$107600.93 \div 12 = 8966.74$ (8967)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 8967 घोषित करता है, जो कि किसी तमाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण (मैं नियोजित श्रमिकों के लिये व्यापिक औसत तिर्योह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीपु

अम विभाग, ओपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं अम विभाग, ओपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर, 2014) के अन्तर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक देय है।

अमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्य/पांच/2024/15067-
दिनांक 24/05/2024 के अनुसार जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत 8967 रहा है। इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3668 पाईन्ट (8967-5299 = 3668 पाईन्ट) 3668 औसत बिन्दुओं की दृष्टि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 01 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से रूपये 36.68 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

अनुसूची - ई

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मज्ञारियों का वर्ग (1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर (3)	कुल वेतन (4)
1. बीड़ी शोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	36.68	रूपये 110.68 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 619.81 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 619.81 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

नोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पैटे 9 रुपये 68 पैसे (8.33 प्रतिशत), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5 प्रतिशत), एवं भविष्य निधिप बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 62 पैसे (10 प्रतिशत) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होगी। इस संकेत देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 114 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील महगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
ट्रैफिक अधिकारी			
अ- बीड़ी के कट्टो पर डिल्ली लगाना			
1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रु. 52.39 प्रति 1000 कट्टो पर	रु. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 89.07
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रु. 56.26 प्रति 1000 कट्टो पर	रु. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 92.94
ब. डिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1. डिल्ली पर लेबल लगाना	रु. 45.95 प्रति 1000 कट्टो पर	रु. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 82.64
2. डिल्ली लगाना	रु. 33.54 प्रति 1000 कट्टो पर	रु. 27.51 (03 पैसे प्रति 4000)	रुपये 61.05
3. लेबल लगाना	रु. 12.84 प्रति 1000 कट्टो पर	रु. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 22.01
4. पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु. 13.25 प्रति 1000 कट्टो पर	रु. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 22.42
स. एक हजार कट्टो पर, जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो :-			
1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु. 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 146.72 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 339.36
2. डिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रु. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 146.72 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 360.31
3. डिल्ली तथा नक्शी डिल्ली लगाने का कार्य हो	रु. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 146.724 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 360.31

नोट - बीड़ी बिर्मिंग के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिशन तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्काना वाहन, एकाउन्टेट, मन्त्रीम, कैशियर, गोडाइन कीपर, स्टोर कीपर, टाइपिस्ट, बिलमेन, बर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अद्वितीय और अनुशासन श्रेणी के अधिकारी के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लियु उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा -

- 1- कुशल - ड्रायवर/चालक (भारी वाहन), एकडॉट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेड कलर्क, गोडाठन कीपर।
- 2-अद्धकुशल- बीड़ी छाटने तथा जाच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायवर (हल्के वाहन), टाईपस्ट, बिलमेन, कलर्क आदि।




(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)**Effective from 01.04.2024****V.D.A. revisable annually with effect from 01.04.2024**

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	36.68
3.	Leave with Salary (@ 5% of total wages)	05.53
4.	Total Wages	116.21
5.	Bonus (@ 8.33% of total wages)	9.68
6.	P.F. contribution of Employer (@ 10% of total wages)	11.62
7.	Total Wages + Bonus + P.F. contribution = Less Contribution of Employer (-)	137.51
8.	Total Wage + Bonus	125.89
9.	Less P.F. Contribution of Employee (@ 10% of Total Wages(-))	11.62
10.	Net Payable to Beedi Roller	114.27


(Swatantr Kumar Singh)
Labour Commissioner,
Madhya Pradesh, Indore

Se

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर
क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/ 15317-566 इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

व्यूहतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर व्यूरो, शिमला से जात कर मैं, स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष		अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जुलाई, 2023	402.34
2	अगस्त, 2023	400.90
3	सितम्बर, 2023	396.00
4	अक्टूबर, 2023	398.59
5	नवम्बर, 2023	400.61
6	दिसम्बर, 2023	399.74
योग/ औसत सूचकांक		2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 400 घोषित करता हूँ जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्भिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट घरिवर्तनशील भवत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा व्यूहतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महगाई अते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997), एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर, 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी समिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है।

शमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्डौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/15.3/7-5.66 दिनांक 24-05-2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसंबर-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। गत छ: माहों का औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण गत छ: माहों में भाव्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (400-386) = 14. पाइन्ट 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक घेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महगाई भन्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $25 \times 14 = 350$ रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $400 - 239 = 161$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील महगाई भन्ते की कुल राशि (25×161) रूपये 4025/- प्रतिमाह अथवा ($4025 \div 26$) = रूपये 154.81 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 9100 रूपये या $9100 \div 26 = 350$ रूपये प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

बोडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील अंहगाई भत्ते
सहित दिनांक 01.04.2024 से निम्नानुसार देय है :-

(आंकड़े रूपये में)


क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील अंहगाई		कुल वेतन		रूपये राउण्ड अप में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू सथा तेल्पूर्वता देने या बोडियों प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण सथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्रायवर(चालक) हल्के वाहन, टाचपिस्ट, क्लर्क विलमेन	5075	195.19	4025	154.81	9100	350	350
2	ट्रक में माल घासते या उतारने या बोडियों के पूँड़ी वा भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भूत्य, चौकीदार	4945	190.19	4025	154.81	8970	345	345
3	ड्रायवर (चालक) भारी वाहन, एफाइलर्ट, मुनीझ, केशियन, लठोर कीपर, जोड़उनकीपर, हेडक्लर्क।	5225	200.96	4025	154.81	9250	355.77	356

स्पष्टीकरण

- 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के प्रिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरों न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- 3- न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो घर किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- 4- परिवर्तनशील अंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लेबर व्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (2001=100) पर आधारित है। 5299

सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जायेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भूते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भूता मानी जायेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भूते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जायेगी।

5. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
6. जहाँ नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, धागा प्रयोग्य भाता में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई अन्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
7. गारण्टी वेज से कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अंजित करेगा वह भी समिलित होगा।
8. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अंजित करता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रका यद्यपि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिये प्रयोग्य हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
10. आग, विपुत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के तियवण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।



(स्वतंत्र कुमार सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2024/ 15567-816

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर व्यूरो, शिमला से जात कर, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर विगत माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता है:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसंबर, 2023	399.74
योग/ औसत	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)
सूचकांक	

तथा विगत छःमाही का औसत 400 घोषित करता है, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्धारित व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, शोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय है।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप अग्रबद्धी उद्योग

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य, प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अग्रबद्धी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2024/.../5567-816 दिनांक 24.05.2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसंबर-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। गत छ: माही का औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण गत छ: माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (400-386) = 14 प्राइन्ट) 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अग्रबद्धी नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $25 \times 14 = 350$ रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $400-241=159$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये $25 \times 159 = 3975$ प्रतिमाह या $3975 \div 26 = 152$ रूपये 88 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अग्रबद्धी रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 159 पर ($159 \div 4 = 39.75$) रूपये 39.75 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

अनुसूची - एफ

अग्रबद्धी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का दर्जा	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अग्रबद्धी रोलसे (1000 अग्रबद्धी रोल करने पर) साधारण	21.40	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.15
(ब) सुगमित्र (सेंट)	22.00	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.75

इस एफ अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(आ) ड्रिम्स वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की ड्रिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरकर पैकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के:

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 52.28
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.23	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.98
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 89.05
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 105.14
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 106.72
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76	रु. 79.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 132.26

सिलोफेन या जिलेटिन के:

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.35
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300	रुपये 85.47

		(33 पैसा प्रति बिन्दु)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 34.48	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 86.95
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 37.03	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 89.50
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 106.72
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 51.00	रु. 79.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 130.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 54.47	रु. 79.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 133.97

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पेक करना निम्न संख्या में अगरबत्तीयों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेवल या सिलोफेन या जिलेटिन का ग्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 16.98	रु. 27.03 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 44.01
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 17.80	रु. 27.03 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 44.83
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 21.30	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 53.10
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 22.19	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 53.99
5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 66.35
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 28.70	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400	रूपये 68.45

(25 पैसा प्रति बिन्दु)

(ई) साढ़े लिफगेफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना।

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 3.85	रु. 6.36	रुपये 10.21
		100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 4.44	रु. 7.95	रुपये 12.39
		100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	
3. पुगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैकड़ा रु. 36.34	रु. 11.13	रुपये 47.47
		100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
दिनांक 01.04.2024 से देय

(आंकड़े रूपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		राठण्डअप रूपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुढ़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भूत्य चौकीदार,	5939	228.42	3975	152.88	9914	381.31	381
2	टाइपिस्ट, ब्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला,	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
3	एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला,	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477

नोट - अग्रवयत्ती उद्योग से सबद्ध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, ब्लर्क, भूत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अद्विक्षल, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जायेगी।

स्पष्टीकरण -

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राठण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परियंत्र क्रमांक एफ 9-7-2006/विभाग/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अधिका उत्तरांश अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, अग्रिम विभाग की दरे न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं बीं जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

- अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अधिक भारतीय उपभोक्ता भूत्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक बढ़ा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिविन्दु सम्मुख अकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 25.00 प्रति विन्दु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छामाही जुलाई से दिसंबर

तथा जनधरी से जून, जेसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील महगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।

3. अधिसंवित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरे न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के छण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विज्ञाम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।



(स्वतंत्र कुमार सिंह)

अमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/अन्वे./पांच/2024/ 15817 - 16066

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून,2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)1-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी, जो अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001= 100 को आधार मानकर संबंध की गई है, जो दिनांक 10 जून,2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई हैं। माह जुलाई से दिसंबर,2023 की छः माही का औसत सूचकांक 400 रहा है, अतः इसके कारण गत छःमाही में माल्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत(386) के ऊपर (400-386)= 14 औसत चिन्हाओं की वृद्धि अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में दिनांक 01.04.2024 से रूपये 350/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024 एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.04.2024 से जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित हैं:

(26 दिन के मात्र से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राठडअप कर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
अर्द्धकुशल	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
कुशल	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पेसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित हैं। (26 दिन के मात्र से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राठडअप कर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
पेकर, पटटी पेकर, सीपर	6705	257.85	3975	152.88	10680	410.77	411
मुनीम, लेखाकार, यत्नक आदि	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
रोलस, बिस्ट्री पाइन्टर्स	9522	366.23	3975	152.88	13497	519.12	519
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कटर्स	10155	390.57	3975	152.88	14130	543.46	543

अनुसूची - स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्मिलित हैं।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठड़अप कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
उच्च कुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	3975	152.88	13660	525.38	525
श्रेणी दो	9378	360.69	3975	152.88	13353	513.58	514
श्रेणी तीन	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
अद्व कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424

अनुसूची - क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महगाई भत्ता सम्मिलित हैं।

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठड़अप कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	216.66	3675	122.50	10175	339.17	339
अद्वकुशल	7057	235.23	3975	132.50	11032	367.73	368
कुशल	8435	281.16	3975	132.50	12410	413.67	414
उच्चकुशल	9735	324.50	3975	132.50	13710	457.00	457

अनुसूची - द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसंबर, 2023 तक माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 है, इसके पूर्व की छ: माही का औसत 1180 था, जिसके कारण 56 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठड़अप कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350	178.33	2808	93.60	8158	271.93	272

बीड़ी नियोजन

अधिकल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के ऊपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	36.68	110.68

नोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते रूपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रूपये 68 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 53 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रूपये 62 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 137 रूपये 51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से श्रमिकों से 11 रूपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 62 पैसे ऊपरांत शुद्ध राशि 114 रूपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अग्रबद्धता नियोजन


अधिकल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के ऊपर गत छःमाही में औसत सूचकांक 386 के ऊपर औसत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - एफ (अग्रबद्धता नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अग्रबद्धता रोलर्स (1000 अग्रबद्धता रोल करने पर) साधारण दर	21.40.	रु. 39.75	रुपये 61.15
(ब) सुविधित (सेटेड)	22.00	रु. 39.75	रुपये 61.75

स्पष्टीकरण - 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को रातण्डआप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में रातण्डआप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

- वित्त विभाग के परिषद क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अग्रे उच्चतरे रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकृशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावशील की गई है।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

प्रेस विज्ञापि

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.04.2024 से रूपये 350.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के आसिक एवं दैनिक वेतन की पुनराक्षित दरें घोषित की जाती हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबंध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की छःमाही में कुल सूचकांक का औसत 400 रहा है। इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के ऊपर 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रूपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से $25 \times 14 = 350.00$ रूपये (तीन सौ पचास रूपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रूपये 3975/- प्रतिमाह अथवा रूपये 152.88 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 10175/- या प्रतिदिन रूपये 391.35, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 11032/- या प्रतिदिन रूपये 424.31, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 12410/- या प्रतिदिन रूपये 477.31 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 13710/- या प्रतिदिन रूपये 527.31 पैसे देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1236-1180) = 56 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह रूपये 336/- की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 8158/- या प्रतिदिन रूपये 271.93 पैसे की मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित रूपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पैटे रूपये 9.68 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान रूपये 05.53 पैसे (5%), एवं भविष्य निधि बाबंदे नियोजक का अंशदान रूपये 11.62 पैसे (10%). इस प्रकार कुल रूपये 137.51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि में श्रमिकों से रूपये 11.62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रूपये 11.62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रूपये 114.27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अग्रबद्धती नियोजन में गत छःमाही का औसत 400 रहा है। जो इसके पूर्व की छःमाही के औसत 386 से ज्यादा है, इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (400-386) 59 औसत बिन्दुओं एवं अग्रबद्धती नियोजन में भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (400-386) औसत 14 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अग्रबद्धती के लिए रूपये 61.15 पैसे तथा सुगंधित अग्रबद्धती के लिए रूपये 61.75 पैसे प्रतिहजार अग्रबद्धती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण -

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसें से कम राशि की छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024 16067-069

इन्दौर, दिनांक 24/5/24

प्रतिलिपि -

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के सभी समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/

16070-110


इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन संसाधन विभाग, भोपाल।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, बन विभाग, भोपाल।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नमंदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय मध्यप्रदेश ग्यालियर।
- 18- उप नियंत्रक, शासकीय प्रादेशिक भूदणालय, ग्यालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपद्ध के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 20- राहत आयुक्त, बलभ भवन, भोपाल।
- 21- उष सचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- केन्द्र निटेशक, ओकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।
- 23- समस्त संघाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- समस्त भूख्य व्यायपालिन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- सचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख बन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 33- सचालक / समस्त संयुक्त सचालक / उप सचालक / सहायक सचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
- 34- समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 35- समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।
- 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
- 37- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संगठन कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 38- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पैसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 41- लेबर व्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील महगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिए जिलों में पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।



(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/ 16/11-360 इन्दौर, दिनांक 24/05/2024
प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिन लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर)।
- 9- सचिव, म.प्र.भ्रयन एवं अन्य संनिर्भाण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लैंबर (छ्यूरो, शिमला) (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2024 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयात्मक मान.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 10772/2024 एवं 9401/2024 आदि में दिनांक 21 मई, 2024 को पारित स्थगन आदेश के प्रतिपेक्ष्य में श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई हैं। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mponline.gov.in पर लोग ऑन करने का कष्ट करें।


 (स्वतंत्र कुमार सिंह)
 श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक. 6/11/अन्वे./पांच/2024/ 15817 - 16066

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)1-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001= 100 को आधार मानकर संबंद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसंबर, 2023 की छ: माही का औसत सूचकांक 400 रहा है, अतः इसके कारण गत छ:माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत(386) के ऊपर (400-386)= 14 औसत विन्दुओं की वृद्धि अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता में दिनांक 01.04.2024 से रूपये 350/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024 एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन आदेश के परिषेक्ष्य में दिनांक 01.04.2024 से जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित हैं।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राठडअप कर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
अर्द्धकुशल	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
कुशल	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित हैं। (26 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राठडअप कर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3975	152.88	10680	410.77	411
मुनींम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
रोलर्स, मिस्ट्री पाईन्टर्स	9522	366.23	3975	152.88	13497	519.12	519
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कट्टर	10155	390.57	3975	152.88	14130	543.46	543

अनुसूची - स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
उच्च कुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	3975	152.88	13660	525.38	525
श्रेणी दो	9378	360.69	3975	152.88	13353	513.58	514
श्रेणी तीन	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
अद्वि कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424

अनुसूची - क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	216.66	3675	122.50	10175	339.17	339
अद्वि कुशल	7057	235.23	3975	132.50	11032	367.73	368
कुशल	8435	281.16	3975	132.50	12410	413.67	414
उच्चकुशल	9735	324.50	3975	132.50	13710	457.00	457

अनुसूची - द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसंबर, 2023 छ:माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 है, इसके पूर्व की छ: माही का औसत 1180 था, जिसके कारण 56 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350	178.33	2808	93.60	8158	271.93	272

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के ऊपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	36.68	110.68

नोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते रूपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रूपये 68 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 53 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रूपये 62 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 137 रूपये 51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से श्रमिकों से 11 रूपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 62 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 114 रूपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन


अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के ऊपर गत छःमाही में औसत सूचकांक 386 के ऊपर औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	21.40.	रु. 39.75	रूपये 61.15
(ब) सुगंधित (सेटेड)	22.00	रु. 39.75	रूपये 61.75

स्पष्टीकरण - 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को रातण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुरूप प्रतिदिन रूपये में रातण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

- 2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 3- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावशील की गई है।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

